FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

For immediate release

Press Release

खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले एफबीओ के खिलाफ एफएसएसएआई की कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2023: देश के शीर्ष खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रिकॉर्ड के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए एफबीओ के खिलाफ 1,411 अभियोजन मामले शुरू किए गए हैं।

एफबीओ के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन में वैध लाइसेंस के बिना खाद्य व्यवसाय करना और असुरक्षित भोजन का निर्माण या बिक्री सहित विभिन्न उल्लंघन शामिल हैं। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, उत्पाद मानकों के अनुपालन एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दूध और दूध उत्पाद, मसाले, पैकेज्ड पीने का पानी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सॉस, अचार, चिप्स, गुड़ इत्यादि जैसी विभिन्न श्रेणियों में कई खाद्य उत्पादों का परीक्षण किया गया है।
एफएसएसएआई, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य अधिकारियों के साथ मिलकर नमूने लेकर और उनका परीक्षण करके देश में उपभोक्ताओं के लिए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की लगातार निगरानी कर रहा है। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए एफबीओ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एफएसएसएआई गैर-अनुपालन प्रथाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कड़े निरीक्षण, निगरानी और प्रवर्तन अभियानों के माध्यम से देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों तक पहुंच प्राप्त हो।

एफएसएसएआई सभी एफबीओ को एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित खाद्य उत्पादों के मानकों का पालन करने और खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए सुरक्षित और स्वच्छ प्रथाओं को सुनिश्चित करने की दृढ़ता से सलाह देता है। किसी भी गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप उल्लंघन करने वाले एफबीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।